

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

वाद संख्या-02/2026

नवल कुमार बनाम् साधना कुमारी।

15.09.2026

इस वाद की सुनवाई दिनांक-10.09.2026 (गुरुवार) को हुई, जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्याम किशोर उपस्थित। प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत चौबे उपस्थित। जिला प्रशासन की ओर से श्री विनोद कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल उपस्थित।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा Supplementary Affidavit दायर किया गया, जिसकी प्रति प्रतिवादी एवं जिला प्रशासन को भी हस्तगत कराया गया। साथ ही उनके द्वारा इस आशय का Undertaking दिया गया कि नये तथ्य आने के कारण C.W.J.C. No. 5381/2026 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्धारित समय-अवधि में वाद का निष्पादन नहीं होने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि उनका मुख्य तीन आरोप है, पहला Holding Tax अदा नहीं करना एवं दूसरा अधिनियम के अधीन कर्तव्यों एवं कृत्यों को करने से इन्कार करना या जानबूझकर उपेक्षा करना तीसरा अपने अधीन निहित शक्तियों का दुरुपयोग करना। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने अचल संपत्तियों का Holding Tax अदा नहीं किया गया, जो उनके पति श्री रामाकान्त शर्मा के परदादा के नाम पर है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन प्रपत्र में जिस कृषि भूमि का जिक्र किया गया है, वह शहरी क्षेत्र में आता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के प्रावधानों के तहत उसका भी Holding Tax अदा किया जाना है, परन्तु उनके द्वारा नहीं किया गया। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया कि यह संपत्ति प्रतिवादी के नाम पर न होकर उनके परदादा ससुर (Great Grand Father in Law) / ससुर (Father in Law) के नाम पर है।

आगे उनके द्वारा अपने पूरक शपथ-पत्र का पारा संख्या-07 का अवलोकन कराया गया बताया गया कि प्रतिवादी के कुल तीन अचल संपत्तियाँ हैं, जिनका Holding Tax अदा किया जाना था जो नहीं किया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा तीसरे संपत्ति का विवरण अपने नामांकन प्रपत्र में नहीं दिया गया है और दूसरे संपत्ति का विवरण गलत दिया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए, मकान का नक्शा नगर परिषद अरवल से पास कराये बिना 04 कट्ठा भूमि पर मकान का निर्माण किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि संपत्ति प्रतिवादी के नाम से नहीं है, परन्तु उनके दादा ससुर के नाम से है। दादा ससुर के संपत्ति में उनके पति स्वामित्व उत्तराधिकारी है, इसलिए वो Co-Sharer है।

आगे उनके द्वारा पूरक शपथ-पत्र के पारा-08 एवं पारा-09 का अवलोकन कराया गया। पारा-08 में उनके द्वारा वर्णन किया गया है कि प्रतिवादी के पति श्री रामाकान्त कुमार उर्फ



रामाकान्त शर्मा के नाम से छोटकी अहियापूर, अंचल-अरवल, थाना संख्या-11, खाता संख्या-57 एवं प्लॉट संख्या-1189 पर स्थित मकान में विद्युत कनेक्शन है, जो उनके पति का स्वामित्व दर्शाता है, जिसका भी Holding Tax अदा नहीं किया गया है। पूरक शपथ-पत्र के पारा-09 में अंचल-अरवल, थाना संख्या-11, खाता संख्या-04 एवं प्लॉट संख्या-784, क्षेत्र-7200 Sq.ft. जो उनके पति Co-Sharer हैं, जिसका भी Holding Tax अदा नहीं किया गया है। दोनों संपत्ति दादा ससुर के नाम से है। आगे वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने वाद का पारा-13 का अवलोकन कराते हुए, बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा नगर परिषद, अरवल के मुख्य पार्श्वद के उपयोग के लिए वाहन उपलब्ध कराने हेतु अपनी गोतनी, श्रीमति मिक्की कुमारी को Contract दिया गया है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा आवश्यक बैठक नगरपालिका बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति का बैठक कुल मिलाकर 120 करायी जानी चाहिए थी, जो मात्र 20 हुआ है। आगे उनके द्वारा कार्यवाही पंजी में छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया।

आयोग द्वारा कार्यवाही पंजी का अवलोकन किया गया तथा नगर परिषद, अरवल की सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक से संबंधित वर्ष-2023 से लेकर वर्ष-2025 (30.12.2025) तक के कार्यवाही पंजी को वाद के अंतिम निष्पादन तक मूल रूप में जब्त किया गया, ताकि साक्ष्य में छेड़छाड़ नहीं किया जा सकें।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि हिन्दू उत्तराधिकार नियम के तहत पति के जीवित रहते हुए, पत्नी का, पति के पूर्वज के संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है।

आगे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद की Maintainability पर प्रश्नवात् किया गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि मेरे मुवक्किल के नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, इसलिए Holding Tax देय नहीं है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-48 एवं 21(5) के तहत सामान्य बोर्ड की बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक नहीं बुलाय जाने का लेकर आयोग के पास सुनवाई के अधिकार नहीं है, हालांकि Holding Tax एवं शक्तियों का दुरुपयोग से संबंधित वादों का सुनवाई कर सकता है। बैठक नहीं बुलाना बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(i) एवं धारा-18(2) के तहत नहीं आता है। आगे उनके द्वारा बताया गया कि उनके विरुद्ध शक्तियों के दुरुपयोग का झूठा आरोप लगाया गया है तथा वाहन Contract पर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-5552, दिनांक-26.09.2023 के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल के आदेश ज्ञापांक-1359, दिनांक-03.10.2023 के द्वारा लिया गया तथा उनके द्वारा बताया गया कि गोतनी परिवार के सदस्य में नहीं आता है। अतः आयोग के पास इस मामले का सुनवाई का अधिकार नहीं है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वैधानिक प्रावधानों के अनुसार बैठक नहीं बुलाया जाना जानबूझकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन न किये जाने के श्रेणी में आता है।



बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-48 के तहत मुख्य पार्षद को बैठक बुलाने की शक्ति है। बैठक न किये जाने से विकास कार्य नहीं हो पायेगा तथा उस क्षेत्र की विकासात्मक कार्य अवरुद्ध हो जायेगी।

आयोग द्वारा दोनों पक्षों के तर्क, वाद के साथ संलग्न साक्ष्यों बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 के संगत प्रावधान तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा रजनी कुमारी वाद में निर्धारित Guiding Principal से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, तो वादी के तर्कों को आयोग द्वारा नियम संगत पाया गया। आयोग वादी के तर्कों से सहमत है कि यह वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 से आच्छादित है, क्योंकि बोर्ड की सामान्य बैठक एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक बुलाने की वैधानिक जिम्मेदारी मुख्य पार्षद की है। उक्त अधिनियम की धारा-27 (A)(1) में स्पष्ट रूप से अंकित है कि नगरपालिका के सभी कार्य मुख्य पार्षद के पर्यवेक्षण में नियंत्रण में किये जायेंगे। अतः वैधानिक प्रावधानों के अधीन बोर्ड एवं सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित करने का कर्तव्य मुख्य पार्षद की है, न कि वार्ड पार्षद या उप मुख्य पार्षद का। मुख्य पार्षद के नहीं रहने पर या उनके द्वारा वैधानिक कर्तव्यों का अनानुपालन करते हुए, बैठकें नहीं बुलाई जाती है, तब ही उप मुख्य पार्षद / वार्ड पार्षद वैकल्पिक प्रावधान के तहत बैठकें बुलाने हेतु अधिनियम द्वारा अधिकृत है। अतः प्रतिवादी का यह तर्क कि बैठकें बुलाना मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं वार्ड पार्षदों का सामूहिक दायित्व है, स्वीकार योग्य नहीं है। अतः यह मामला उक्त अधिनियम की धारा-18(1)(i) के अन्तर्गत शामिल है। कर्तव्यों का निर्वहन जानबूझकर नहीं किया गया है, अथवा किसी अन्य कारण से यह वाद के 'मेरिट' का विषय है। अतः प्रतिवादी का यह दावा सही नहीं है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 में बैठक नहीं करने पर अयोग्यता का प्रावधान नहीं है। समरूप मामले में श्रीमती सुनैना देवी वाद L.P.A No:679 of 2008 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रखण्ड पंचायत समिति के बैठक नहीं कराने को वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना है। यह प्रावधान नगरपालिका अधिनियम के विचाराधीन प्रावधान के Para Materia है। अतः प्रतिवादी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता स्वयं स्वीकार करते हैं कि दो अन्य आरोपों में, अर्थात् Holding Tax अदा नहीं करने पर अयोग्यता तथा पद के दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न अयोग्यता की सुनवाई के संबंध में अधिकारिता आयोग में निहित है। उनके द्वारा साक्ष्यों की प्रकृति के संबंध में जो प्रश्न उठाये गये हैं। वह वास्तव में वाद के 'मेरिट' का विषय है। अतः जबकि उनके द्वारा Maintainability को स्वयं स्वीकार किया गया है, तो 'मेरिट' पर विचार विस्तृत सुनवाई में किया जायेगा।

रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा यह आदेश दिया गया था कि आयोग ऐसे मामलों का परीक्षण करेगा कि क्या लाया गया वाद पूर्णतः चुनाव याचिका से संबंधित है, अथवा नहीं। आयोग वाद दायर होने के उपरान्त वाद-पत्र में उल्लेखित मामलों एवं संलग्न



साक्ष्यों का परीक्षण उक्त निर्देश के अनुसार करने की उपरांत ही नैसर्गिक-न्याय के नियम के तहत सभी पक्षों को नोटिस निर्गत करता है, जिसमें मामला चुनाव याचिका से संबंधित नहीं रहता। आयोग द्वारा यह भी परीक्षण किया जाता है कि यदि पूर्व से समरूप मामले में कोई चुनाव याचिका दायर किया गया हो, तो आयोग द्वारा ऐसे मामले की सुनवाई नहीं की जाती है।

विचाराधीन वाद में भी माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित Guiding Principal का अनुपालन किया गया है। इस मामले में किसी न्यायालय अथवा प्राधिकार में कोई मामला लंबित हो, का संज्ञान आयोग को नहीं है तथा वाद-पत्र में उल्लेखित मामले एवं साक्ष्य प्रथम दृष्टया बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18 के तहत वाद प्रारंभ करने हेतु पर्याप्त पाये गये।

उक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी का अनुरोध/Preliminary Objection अस्वीकृत/खारिज करते हुए, बिहार नगरपालिका अधिनियम-2007 की धारा-18(1)(K), धारा-18(1)(I) एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत मामले की विस्तृत सुनवाई का निर्णय लिया जाता है।

जिला पदाधिकारी के तरफ से प्राधिकृत पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वादी के द्वारा दायर पूरक शपथ-पत्र में वर्णित परिसंपत्तियों को जाँचकर पूरक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा अगली सुनवाई की तिथियों को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अरवल को Peon Book एवं बैठक की तामिला संबंधित पंजी के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करायेंगे।

जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल को यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति की तामिला वादी एवं प्रतिवादी को अविलम्ब कराते हुए, तामिला प्रतिवेदन आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार सुनवाई की अगली तिथि-01.10.2026 को अपराह्न 03:30 में सुनिश्चित की जाती है। सभी संबंधित को सूचित किया जाए।

हस्ताक्षर-

(डॉ० दीपक प्रसाद)

15.09.2026

ज्ञापांक-02/2026 3765 पटना, दिनांक-15.9.26
प्रतिलिपि-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)-सह-जिला पदाधिकारी, अरवल/जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अरवल को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 48 घंटे के अन्दर कराते हुए, तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई-मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

पटना, दिनांक-15.9.26

ज्ञापांक-02/2026 3765

प्रतिलिपि-वादी श्री नवल कुमार, पिता-श्री मिथलेश सिंह, ग्राम-खानकुलीपुर, पोस्ट+थाना+जिला-अरवल एवं प्रतिवादी श्रीमती साधना कुमारी, वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर परिषद, अरवल, पति-श्री रामाकान्त कुमार, पता-छोटकी अहियारपुर, थाना-अरवल, जिला-अरवल, को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त



ज्ञापांक-02/2026 3765

प्रतिलिपि-श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-15/9/26

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त





इस पल के सत्यापन हेतु क्यूआर (QR) कोड को स्कैन करें।